## न्यायालय-आर.पी.मिश्र, विशेष न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.एक्ट), शिवपूरी म०प्र०

Filing No.: 1402/2021 Registration No.: 317/2021 Date of Registration:09-03-2021 CNR: MP3301-001596-2021

हनुमंत सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह रावत, आयु ४८ साल, निवासी—ग्राम नरौआ, थाना सीहोर, जिला शिवपुरी म.प्र.

.....अभियुक्त / आवेदक

## बनाम

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना सीहोर, जिला शिवपुरी म0प्र0।

.....अनावेदक

## <u>पुनश्चः</u>

## दिनांक 10.03.2021

यह द्वितीय जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी के न्यायालय से विधिवत निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त।

अभियुक्त / आवेदक हनुमंत सिंह द्वारा श्री मुनेश मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना सीहोर, जिला शिवपुरी से अपराध कमांक—17 / 2021, अंतर्गत धारा—8 / 18 एन.डी.पी.एस.एक्ट की केस डायरी ई.मेल के माध्यम से मय कैफियत के प्रस्तुत।

अभियुक्त / आवेदक की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय** अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्ष को सुना गया।

अभियुक्त / आवेदक की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय** अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. संक्षेप में यह है कि आवेदक ग्राम नरौआ थाना सीहोर जिला शिवपुरी का निवासी होकर कृषि कार्य कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आवेदक को जानकारी मिली कि पुलिस सीहोर ने अपराध क. 17/21 पर दिनांक 03.02.21 की घटना बताकर आवेदक के विरूद्ध उनकी जमीन पर अफीम की खेती किये जाने का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। आवेदक का उक्त अपराध से किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं है। जिस जमीन पर अफीम की खेती करना बताया गया है, वह जमीन आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की नहीं है और न ही उस जमीन से आवेदक का कोई लेना देना है। आवेदक की पत्नि सुमनबाई ग्राम नरौआ की पूर्व

सरपंच रही है। मार्च—अप्रेल 2021 में मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होने है, जिसमें सुमनबाई प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहती है। इस कारण राजनैतिक विद्वेष की भावना, पार्टी बंदी के कारण आवेदक को उक्त प्रकरण में फंसाया गया है। जिस जमीन पर अफीम की खेती होना बताया है, वह आवेदक की जमीन से 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। आवेदक से कोई जप्ती आदि की भी कार्यवाही नहीं होना है। अतः आवेदक को अग्रिम प्रतिभूति पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुक्त / आवेदक की ओर से अपने जमानत आवेदनपत्र में यह भी उल्लेखित किया है कि आवेदक की ओर से धारा 438 द.प्र. सं. का यह **द्वितीय** जमानत आवेदनपत्र है, **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र दिनांक 06.02.21 को इस न्यायालय द्वारा नॉटप्रेस में निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदनपत्र किसी भी न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लिम्बत नहीं है और न ही निराकृत हुआ है। उक्त तथ्य के समर्थन में होशियार सिंह रावत का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया है कि आवेदक द्वारा अफीम की खेती करने संबंधी अपराध गंभीर किस्म का है। आवेदक शातिर अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने पर अभियुक्त साक्ष्य प्रभावित कर सकता है। अतः अग्रिम जमानत आवेदनपत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि अभियुक्त/आवेदक ग्राम ग्राम नरौआ थाना सीहोर जिला शिवपुरी का स्थाई निवासी होकर कृषक है। इसलिये उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आगामी मार्च—अप्रेल माह में होने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव के कारण उसे रंजिशन फंसाया गया है। इसलिये अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

कंस डायरी का अवलोकन किया गया। कंस डायरी के परिशीलन करने पर दर्शित होता है कि अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध आरक्षीकेन्द्र सीहोर जिला शिवपुरी ने अपराध क. 17/21 अंतर्गत धारा—8/18 एन. डी.पी.एस.एक्ट पंजीबद्ध है। केस डायरी के अनुसार अभियुक्त/आवेदक एवं अन्य अभियुक्तगण पर अभियोग है कि उनके सामलाती खेत के रकबा 0.10 हेक्टेयर में अफीम की फसल खड़ी होना पाई गई है। अफीम के पौधे 116 प्लास्टिक के बोरों में 15—15 किलोग्राम भरे जाकर अफीम के पोधों का कुल बजन 17 क्विंटल 40किलोग्राम पाया गया है। अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जाकर एन.डी.पी.एस.एक्ट की धारा—8/18 के अंतर्गत अपराध

पंजीबद्ध है। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त से ग्राम के लोग भयभीत हैं, इसलिए वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा। केस डायरी के अवलोकन से ऐसी कोई परिस्थिति दर्शित नहीं है कि जिससे यह प्रथमदृष्टया प्रतीत हो कि आवेदक/अभियुक्त को मामले में झूठ—मूठ में फंसाया गया है। इसलिए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

अतः अपराध के स्वरूप एवं समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरान्त आवेदक / अभियुक्त हनुमंत सिंह रावत की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय** अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—438 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य न होने से **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति केस डायरी में संलग्न किये जाने हेतु थाना प्रभारी, पुलिस थाना—सीहोर, जिला शिवपुरी की ओर प्रेषित की जाये। प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज किया जाये। प्रकरण पत्रावली विधिवत अभिलेखागार में जमा की जाये।

> (आर.पी. मिश्र) विशेष न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.एक्ट) जिला शिवपुरी (म.प्र.)